लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *472

जिसका उत्तर बुधवार, 05 अप्रैल, 2023 को दिया जाएगा

आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

***472. श्री रामशिरोमणि वर्मा:**
श्री राजवीर दिलेर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो खाद्य पदार्थ-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के पीछे जमाखोरों/कालाबाजारियों की भूमिका सरकार के ध्यान में आई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर/कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 05.04.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *472 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): उपभोक्ता मामले विभाग 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है । पिछले तीन वर्षों की 22 खाद्य वस्तुओं की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतें **अनुलग्नक** में दी गई हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं क्योंकि वे कई कारकों जैसे कि मांग और आपूर्ति में अंतर, मौसम-चक्र, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं, जमाखोरी और कालाबाजारी से उत्पन्न कृत्रिम कमी, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं। कभी-कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या भारी बारिश के कारण होने वाली क्षति के कारण कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।

(ग) और (घ): आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी रोकथाम और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन और कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी जैसे कदाचारों से निपटने के लिए लागू किए गए हैं। तूर और उड़द के संबंध में जमाखोरी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए, सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत स्टॉकहोल्डर्स द्वारा स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने और स्टॉक की बारीकी से निगरानी और सत्यापन करने के लिए एक निर्देश जारी किया है।

(ड.) देश में समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने एवं खाद्यान्नों की कीमतों को बढ़ने से नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात को रोकते हुए 13 मई 2022 को गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन कर उसे नि:शुल्क से निषिद्ध श्रेणी में लाया गया और 12 जुलाई 2022 से आटा (गेहूं) का निर्यात, गेहूं का निर्यात संबंधी अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की अनुशंसा के अध्यधीन लाया गया है। इसके अलावा, टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध और 9 सितंबर 2022 से उसना (पार-बॉयल्ड) चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क अधिरोपित किया गया है। सरकार ने गेहूँ और आटे की कीमतों को नियंत्रण में करने के लिए खुला बाजार विक्रय योजना (ओएमएसएस) के तहत 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं राज्य सरकारों, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) राज्य सहकारी समितियों/संघों आदि को बिक्री करने का भी फैसला किया है।

इसके अतिरिक्त, दालों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और इनकी कीमतों में नरमी लाने के लिए, तूर और उड़द के आयात को दिनांक 31.03.2024 तक 'मुक्त श्रेणी' के अंतर्गत रखा गया है और मसूर पर आयात शुल्क को दिनांक 31.03.2024 तक कम करके शून्य कर दिया गया है। सुचारू और बाधारहित आयात की सुविधा के लिए तूर पर से आयात शुल्क को हटा लिया गया है। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बफर से चना और मूंग के स्टॉक, कीमतों को कम करने के लिए बाजार में लगातार जारी किए जा रहे हैं। पीएसएसऔर पीएसएएफ से चना 15/-रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर कल्याणकारी स्कीमों के लिए राज्यों को भी आपूर्ति की जाती है।

प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए भी सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रबी-2022 फसल से रिकॉर्ड 2.51 लाख मीट्रिक टन की खरीद की और सितंबर, 2022 और जनवरी, 2023 के दौरान प्रमुख खपत केंद्रों में जारी की। वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) के संबंध में, रबी – 2023 प्याज की खरीद को बढ़ाकर 3.0 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है।

खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने कच्चे पॉम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर मूल शुल्क को कम करके शून्य कर दिया और इन तेलों पर कृषि उपकर को 5% कर दिया है। रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 32.5% की विगत दर से कम करके 17.5% कर दिया गया और रिफाइंड पॉम तेल पर मूल शुल्क को 17.5% से कम करके 12.5% कर दिया गया है। सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल के आयात को भी 'मुक्त' श्रेणी में रखा है।

*****

अनुलग्नक

"आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 05.04.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *472 के उत्तर के भाग (क) और (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की अखिल भारतीय खुदरा औसत कीमतें

(रुपये/किलोग्राम में)

क्रम सं.	वस्तु	2020	2021	2022
1	चावल	34.25	35.98	37.03
2	गेहूँ	28.36	27.25	30.15
3	आटा	30.81	30.75	34.50
4	चने की दाल	68.59	75.26	73.66
5	तूर दाल	95.20	105.50	107.30
6	उड़द की दाल	101.80	107.90	106.60
7	मूंग की दाल	103.50	103.90	102.60
8	मसूर की दाल	74.74	88.75	96.21
9	मूँगफली का तेल	147.00	176.30	189.20
10	सरसों का तेल	123.30	170.70	182.00
11	वनस्पति	92.27	131.00	150.20
12	सोया तेल	102.80	147.30	158.40
13	सूरजमुखी का तेल	114.20	164.40	178.20
14	पॉम ऑयल	92.140	128.30	134.80
15	आलू	31.25	21.34	25.20
16	प्याज	35.88	32.52	28.00
17	टमाटर	33.66	32.63	36.61
18	चीनी	39.85	40.62	41.87
19	गुड़	47.89	47.68	49.31
20	दूध (रु./लीटर)	46.52	49.11	52.81
21	चाय खुली	224.7	279.80	282.50
22	नमक	16.27	18.09	20.25

*****